कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3417 /मीरजापुर/15 दिनांक मीरजापुर फरवरी 29 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या–-4066/मी0क्षे0/33 दिनांक 27.02.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में उठायी गयी कमियों का निवारण प्रस्ताव संस्था के पत्र दिनांक 28.02.2020 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जिसको संकलित कर अपेक्षित आख्या/सूचना संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क0सं0	उठायी गयी कमियॉ	निवारण
1	प्रस्तावित परियोजना की लीज अवधि पार्ट–1 आन लाइन में 35 वर्ष तथा प्रस्ताव में संलग्नक प्रमाण पत्र में 37 वर्ष उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः स्पष्ट बचनबद्धता एवं लीज अवधि अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्तावक ने 37 वर्ष का लीज अवधि के लिये आवेदन दिया है जिसका उल्लेख पार्ट–1 में दर्शाया गया है।
2	प्रस्तावित परियोजना में पार्ट–1 हार्ड कापी संलग्न नही की गयी है।	प्रस्तावित परियोजना में पार्ट–1 हार्ड कापी संलग्न है ।
3	प्रस्तावित परियोजन में संलग्न अभिलेखो की सूची में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तिथि, मुहर एवं हस्ताक्षरकर्ता के नाम सहित उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव में संलग्नक अन्डर टेकिंग एफ0आर0ए0 सर्टिफिकेट में भारत सरकार के पत्र संख्या– एफ0एन0–11–9/98–एफ0सी0(पी0टी) दिनांक 15.01.2014 विफोर फाइनल अप्रुवल (स्टेज–II) उल्लेख किया गया है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनतर्गत एफ0आर0ए0 सर्टिफिकेट की अण्डरटेकिंग प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4	प्रस्तावित परियोजना में एन0पी0वी0 की गणना 6.26 लाख की दर से की गयी है जबकि काष्ट वेनिफिट में 8.87 लाख से गणना की गयी जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कास्ट बेनिफिट पार्ट–1 के समय भरा जाता है जबकि एन0पी0वी0 की दर ज्ञात नही होती है। 8.87 लाख प्रति हे0 की ईको क्लास 3 के अधिकतम् घनत्व के क्षेत्र की है।
5	प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट बचनबद्धता संलग्न नही है।	प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट बचनबद्धता संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या **अ/समदिनांक**

प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, ओबरा–सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड ,मकान न0–116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिसालपुर रोड, बरेली –243006 उत्तर प्रदेश को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर